संOसंO–6 / एनO–08–73 / 2012–.......

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना
आदेश

आयुष्मान चेरिटेबल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट भगवानपुर, सदर, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित आयुष्मान नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट, श्रीरामनगर, भगवानपुर, सदर, मुजफ्फरपुर का पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञापांक 412 (6), दिनांक 25.08.2014 के आलोक में गठित निरीक्षण दल के निरीक्षणोपरान्त डाO आबिद हुसैन, संयुक्त निदेशक, स्वाOसेO, बिहार, पटना के पत्रांक 46 / संOनिOकोO, दिनांक 04.12.2014 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अन्तर्गत की गयी अनुशंसाओं के आलोक में उक्त प्रशिक्षण स्कूल को एOएनOएमO प्रशिक्षण पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2015–17) के लिए निम्न शर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(ख) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर समय–समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) संस्थान द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर (ii) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

हO / –
(डाO आरOडीO रंजन)
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : संOसंO–6 / एनO–08–73 / 2012.........139(6) पटना दिनांक– 24.03.2015

प्रतिलिपिः– सचिव, आयुष्मान चेरिटेबल एण्ड एजुकेशनल टस्ट्र भगवानपुर, सदर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली / निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद बिहार, पटना / क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वाOसेO तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/15
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।